बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

–:: आदेश ::–

संख्या–17/विविध–03–24/2015, सा.प्र. 2530 **/ पटना–15, दिनांक** 22-2-18

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित प्रावधान एवं शर्तों के तहत विभागीय आदेश सं0–3299 दिनांक 03.03.2016 के क्रमांक–4 एवं 5 द्वारा क्रमशः श्री जगदीश चौधरी, सेवानिवृत्त अवर सचिव एवं श्री प्रफुल्ल कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त अवर सचिव को संविदा के आधार पर दो वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए क्रमशः ग्रामीण विकास विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (प्रतिनियुक्त स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली) में अवर सचिव के पद पर नियोजित किया गया है।

2. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग (प्रतिनियुक्त स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली) द्वारा नियोजित सेवानिवृत्त अवर सचिव श्री चौधरी एवं श्री सिन्हा की सेवावधि विस्तार से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका–3(2)(क)(v) के आलोक में उनके नाम के सामने कॉलम–4 में अंकित अवधि के लिए सेवा विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क्र0	नियोजित सेवानिवृत्त अवर सचिव का नाम एवं विभाग का नाम	नियोजित पद पर योगदान की तिथि	विस्तारित सेवावधि
1	2	3	4
1	श्री जगदीश चौधरी, ग्रामीण विकास विभाग	03.03.2016	दि0 03.03.18 से अगले एक वर्ष के लिए।
2	श्री प्रफुल्ल कुमार सिन्हा, सामान्य प्रशासन विभाग (प्रतिनियुक्त स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली)	11.03.2016	दि0 11.03.18 से अगले एक वर्ष के लिए।

(क) प्रोन्नत पद पर सरकारी सेवक की प्रोन्नति/पदस्थापन होते ही सेवा विस्तार समाप्त हो जायेगा।

(ख) संकल्प की कंडिका–3(2)(क)(vi) के तहत इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर इनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

(ग) संकल्प की कंडिका–3(6)(i) के अनुरूप इन्हें मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका–3(6)(iv) के तहत सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित होगा। मासिक मानदेय की यह राशि संबंधित कर्मी को संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।

मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग/कार्यालय के स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(घ) सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में कंडिका–3(6)(ii) के अन्तर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

(च) संकल्प की कंडिका–4 के तहत पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी तथा संकल्प की कंडिका–5 के तहत आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भांती क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

22/2/18
(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–17/विविध–03–24/2015, सा.प्र. 2530 **/ पटना–15, दिनांक** 22-2-18

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/बिहार भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/2/18
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–17/विविध–03–24/2015, सा.प्र. 2530 **/ पटना–15, दिनांक** 22-2-18

प्रतिलिपिः–सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–15, 16 एवं 22, सामान्य प्रशासन विभाग/श्री जगदीश चौधरी, नियोजित सेवानिवृत्त अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं श्री प्रफुल्ल कुमार सिन्हा, नियोजित सेवानिवृत्त अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (प्रतिनियुक्त स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/2/18
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–17/विविध–03–24/2015, सा.प्र. 2530 **/ पटना–15, दिनांक** 22-2-18

प्रतिलिपिः– आई॰ टी॰ मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/2/18
सरकार के अवर सचिव।

D:/Avish Document/Aadesh/2018/Office order U.s (Prafull sinha)(22.02.2018)